इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 683] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017—पौष 1, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ ए 3– 87/2017/1/पांच (160) : राज्य सरकार का यह विचार है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

–: संशोधन :–

उक्त नियमों में, नियम 36 में, उपनियम (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग) यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही 6.25 करोड़ रूपये या उससे अधिक अथवा प्रतिवर्ष पच्चीस करोड़ रूपये या उससे अधिक कर भुगतान करने का दायी हो,–

(1) मार्च मास को छोड़कर, किसी वर्ष की प्रत्येक मास के लिए उसके द्वारा देय कर की वास्तविक रकम अगले मास की 06 तारीख को या उसके पूर्व भुगतान करेगा;

(2) किसी वर्ष के मार्च मास के प्रथम पच्चीस दिनों के लिए शोध्य कर की वास्तविक रकम वर्ष के 30 मार्च को या उसके पूर्व और इस मास की शेष शोध्य कर की रकम अगले मास की 06 तारीख को उसके पूर्व भुगतान करेगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 22/12/17 से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–87/2017/1/पांच भोपाल, दिनांक 22/12/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–87/2017/1/पांच (160), दिनांक 22/12/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal the 22nd December 2017

F A3- 87 /2014/1/V (160): Whereas, the State Government considers that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the official Gazatte;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Governement, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely-

AMENDMENT

In the said rules, for clause (c) of sub rule (2) of rule, 36, the following clause shall be substitued :-

"(c) If he is liable to pay tax ordinarily of rupees 6.25 crores per quarter or above, or rupees twenty five crores per annum or above, shall pay-

(1) except for month of march, an amount equal to actual amount of tax payable by him for the every month of a year on or before the 6th of the next month;

(2) the actual amount of tax payable for the first 25 days of the month of march of a year on or before the 30th March of the year and the balance of the amount of tax due from him of the rest of the month on or before 6th of the next month."

2. This notification shall be effective from 22/12/17

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.